न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 13 / 2016

1–साहब सिंह उर्फ शोभासिंह पुत्र किशन
2–लाखन सिह
3–रतनसिह
4–नरेश
5–करन सिह
6–वीर सिह
पिसरान देवी सिंह
जाति गोला ठाकुर निवासी गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर
7–बुद्वो पत्नी स्व. देवी सिह
8–मुन्नीदेवी पत्नि स्व.दामोदर
9–मनोज उम्र 10 साल । पुत्रान स्व. दामोदर नावालिग व वली सरपरस्त
10–हेमराज उम्र 8साल । माता मुन्नीदेवी पत्नी स्व. दामोदर

....अपीलान्टान

बनाम

1–अतरसिंह
2–पूरनसिह
3–सुन्दर सिंह
पिसरान अमरसिंह जाति गोला ठाकुर निवासी गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर
4–सुमन पुत्री घमण्डी सिंह पत्नी सनजीत जाति गोला ठाकुर निवासी वालपुर कालिया वास गुडगांव हरियाणा
5–समन्दर सिंह पुत्र कमल सिंह जाति गोला ठाकुर निवासी गोलपुरा तहसील भरतपुर
6–सीताराम पुत्र ज्ञानो पुत्री कमल सिंह गोला ठाकुर निवासी कमालपुर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्व आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 19.11.2015 बाबत नामान्तकरण संख्या 2643 बाके ग्रांम गोलपुरा तहसील भरतपुर ।

———

उपस्थितः–
श्री दिनेश शर्मा अभि. अपीलान्ट
श्री पुष्पेन्द्र गुर्जर अभि. रेस्पो
श्री लोकेन्द्रनाथ चतुर्वेदी रेस्पो न.6

.....2

अपील संख्या/25/2017

सीताराम पुत्र ग्यानो पुत्री कमलसिंह जाति गोला ठाकुर निवासी गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1–अतरसिह । पुत्रान अमरसिह । जाति गोला ठाकुर निवासी
2–पूरनसिंह । ।
3–सुन्दर सिंह। । गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर
4–समन्दर सिह पुत्र कमलसिंह ।
5– सुमन पुत्री घमण्डी सिंह ।
6–जगदीश पुत्र रामफल ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बिरुद्व आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 19.11.2015 बाबत नामान्तकरण संख्या 2643 बाके ग्रांम गोलपुरा तहसील भरतपुर ।

———

उपस्थितः–
1–श्री लोकेन्द्रनाथ चतुर्वेदी अभि. अपीलान्ट
2–श्री प्रमोद उपमन रेस्पो न.6
3–रेस्पो न. 1लगा.5 उपस्थित नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 15.3.2018

अपीलान्टान ने उक्त दोनों अपीलें विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश 19–11–2015 बाबत नामान्तकरण संख्या 2643 बाके ग्रांम गोलपुरा तहसील भरतपुर पेश की गई हैं। अपीलाधीन आदेश में स्व. कमलसिंह पुत्र नामालुम की विसरात का नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। जिससे परिवेदित होकर अपीलान्टान द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर रेस्पो. को नोटिस जारी किये गये। उक्त दोनों अपीलों के आधार एक ही हैं तथा विचाराणीय बिन्दू भी समान होने से दोनों अपीलों पर एक ही बहस सुनी जाकर एक ही निर्णय से निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल हों। उपस्थित योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट साहवसिह उर्फ शोभासिंह वगे0 ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार भरतपुर ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना मौके के जॉच किये पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ होने से काबिल खारिज के है। उनका कहना है कि पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी को लेकर राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निणर्य के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल

अजमेर में अपील की की गई थी, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने स्थगन आदेश दिनांक 7–4–2004 में राजस्व अभिलेख की वर्तमान स्थिति मण्डल के अन्य आदेश तक यथावत कायम रखी जाने का स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। जिसकी जानकारी तहसीलदार भरतपुर को थी। उनका कहना है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन आदेश के होते हुये तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण स्वीकार करने की जो आज्ञा पारित की गई है वह विधि सम्मत नहीं है। पटवारी हल्का ने स्टे नहीं होने की जो रिपोर्ट की वह रेस्पो. से मिली भगत से की गई है। स्थगन आदेश के होते हुये तहत न्यायालय ने जो कार्यवाही की है वह नियमों के विपरीत है जो खारिज योग्य है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी 22.6.2016 को हुई जब अपीलान्ट खेत जुतवाने गया, तब रेस्पो. ने कह दिया कि जमीन हमारे नाम है तेरा कुछ नहीं है। तब अपीलान्ट ने जानकारी कर अपीलाधीन आदेश की नकल लेने के उपरान्त अपील अन्दर म्याद पेश की गई है, देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों के समर्थन में आरआरडी 1989 पेज 771(1), आरआरडी 2001 पेज 53, आरबीजे 2004 पेज 286 (एससी डीबी), आरबीजे 1997 पेज 182 व 257 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया तथा उक्त दोनों अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक प्रकरण 25/17 अपीलान्ट सीताराम, पत्रावली न.13/16 के रेस्पो.6 ने अपने बताया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने विधि विरुद्व पारित किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण 2643 में मृतक कमलसिंह के विरासतन का जो सजरा दर्ज किया गया है उसमें मृतक की पुत्री ज्ञानो का नाम दर्ज कर उसके आगे मृतक शब्द लिख दिया गया है जबकि वारिस ज्ञानों के अपील जीवित वारिस है को छोड़ते हुये उसके हक हकूकों से वंचित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को अपील 13/2016 उनवानी साहबसिंह बनाम अतरसिंह में जारी सम्मन तारीखी 24.7.17 पर उपस्थित होने पर हुई। तब जाकर नामान्तकरण की नकल वगे. लेकर अपील बिना देरी के दिनांक 10.8.17 को प्रस्तुत की गई हैं। देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अपील न0 25/17 सीताराम बनाम अतरसिंह स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को मृतक कमलसिंह की पुत्री ज्ञानों(मृतका) के वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावें।

प्रार्थी जगदीश पुत्र रामफल जाति गोला ठाकुर निवासी गोलपुरा तहसील भरतपुर द्वारा दिनांक 15.1.18 के द्वारा विवादित आराजी में से कुछ भूमि जरिये बैयनामा क्रय करने के कारण उसका हित निहित होने एवं अपीलान्ट द्वारा पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया कर पत्रावली न. 25/17 उनवानी सीताराम बनाम अतरसिंह में बतोर रस्पो संख्या–6 दर्ज किया जाकर उन्हें सुना गया। योग्य अभिभाषक रेस्पो का कहना है कि प्रार्थी जगदीश पुत्र रामफल के द्वारा विवादित आराजी में से समन्दसिह पुत्र कमलसिहं से जरिये पंजीकृत बैयनामा क्रय किये हिस्से के मुताविक प्रार्थी जगदीश को विवादित नामान्तकरण में छोड़ दिया गयाहै। प्रार्थी जगदीश मुताविक पंजीकृत बैयनामा में दर्ज कराना का अधिकारी है। उसे विवादित नामान्तकरण वंचित कर दिया गया है। प्रार्थी जगदीश को मुताविक वैयनामा खातेदारी दर्ज कराने का हकदार है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। प्रस्तुत रुलिंग का अध्ययन किया गया। प्रथमतः म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 मय शपथ पत्र पेश किया गया है। आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में प्रतिपादित किया है कि :–

Limitation Act, 1963, S.5 - Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case - Legality of-Held, now it msut be taken as well settled Principal of law that before rejecting applications u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. (Para 19)

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों को मध्यनजर रखते हुये अपीलों को अन्दर म्याद मानते हुये। अपीलों की मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2643 तहसीलदार भरतपुर ने दिनांक 19.11.2015 को का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश मृतक कमलसिंह पुत्र नामालुम की विरासत का दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर आया कि विवादित नामान्तकरण में दर्ज आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य सक्षम न्यायालय में वाद अपील विचाराधीन है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2643 दिनांक 19.11.2015 स्वीकृत करने से पूर्व ही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का स्टे दिनांक 7.4.2004 जारी किया था जिसे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 3.8.2017 से राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के यहॉ विचाराधीन अपील के निर्णय तक विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखने हेतु पक्षकारान को पाबन्द किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2643 दिनांक 19.11.2015 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के स्टे के प्रभावी रहने के दोराने स्वीकार किया गया है। जो विधि विरुद्व एवं शून्य रहता है। वर्तमान में विवादित आराजी को लेकर प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहॉ विचाराधीन है। विचाराधीन प्रकरण नामान्तकरण में अंकित विवादित आराजी पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन आदेश दिनांक 7.4.2004 एवं निर्णय दिनांक 3.8.2017 के प्रभावी रहते हुये न्यायालय हाजा द्वारा विवादित आराजी पर किसी भी पक्ष के हितों के बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। पक्षकार अपने हक हकूकों के लिये सक्षम न्यायालय में उपस्थित होकर चाराजोही करने को स्वतन्त्र है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के स्टे के दौराने तहत न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2643 दिनांक 19.11.2015 निरस्त किया जाना ही न्याय संगत एवं विधि अनुकूल पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट हर दो स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट हर दो स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2643 दिनांक 19.11.2015 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहॉ विचाराधीन अपील के निर्णय उपरान्त निर्णानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2018 को सुनाया गया।

{ डॉ.एन.के.गुप्ता }
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official